दिनांक 22.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 487/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मऊ/थाना चिरैयाकोट</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 22.09.2026 को थाना चिरैयाकोट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेचुई नहर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शैलेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना चिरैयाकोट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—शैलेश निवासी ग्राम सेचुई बेलभद्र थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

<u>जनपद इटावा/थाना इकदिल</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोना (135.77 ग्राम), चाँदी के बिस्किट (01 किलो 321.06 ग्राम) एवं 307.420 ग्राम चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 32 हजार 250 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 एक्सयूवी कार बरामद**

दिनांक 22.09.2026 की रात्रि थाना इकदिल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्वालियर बाईपास रोड़ पर चेकिंग के दौरान पुलिस

कार्यवाही में 06 अभियुक्तों 1–रमेश 2–मुनीश कुमार उर्फ त्यागी 3–वसीम 4–मुकद्दर अली 5–इरफान 6–अनीश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोना (135.77 ग्राम), चाँदी के बिस्किट (01 किलो 321.06 ग्राम) एवं 307.420 ग्राम चाँदी के आभूषण, चोरी के 32 हजार 250 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 एक्सयूवी कार बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06/07.08.2026 को थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना इकदिल पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोना–चाँदी व चाँदी के आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त वसीम के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, हरदोई, पीलीभीत के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त मुनीश कुमार उर्फ त्यागी के विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर, सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग, अभियुक्त इरफान के विरूद्ध जनपद बरेली, बदायूं, हरदोई, शाहजहाँपुर, सीतापुर, फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 16 अभियोग, अभियुक्त मुकद्दर अली के विरूद्ध जनपद कुशीनगर, फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त रमेश के विरूद्ध जनपद कन्नौज, बदायूं, फतेहगढ़, फिरोजाबाद, कुशीनगर, शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना इकदिल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रमेश निवासी चंदोखा चितापुख्ता, थाना दातागंज, जनपद बदायूँ, हालपता कटरा मोहल्ला, सोरों, जनपद कासगंज।

2–मुनीश कुमार उर्फ त्यागी निवासी मौजमपुर, थाना हजरतपुर, जनपद बदायूँ।

3—वसीम निवासी गड़िया पैगम्बरपुर, थाना हजरतपुर, जनपद बदायूँ।

4—मुकद्दर अली निवासी गड़िया पैगम्बरपुर, थाना हजरतपुर, जनपद बदायूँ।

5—इरफान निवासी गड़िया पैगम्बरपुर, थाना हजरतपुर, जनपद बदायूँ।

6—अनीश निवासी मोहल्ला गोशनगर, वार्ड नं. 22, कस्बा व थाना दातागंज, जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1—चोरी के सोना (135.77 ग्राम), चाँदी के बिस्किट (01 किलो 321.06 ग्राम) एवं 307.420 ग्राम चाँदी के आभूषण।

2—चोरी के 32 हजार 250 रूपये नगद।

3—01 मोबाइल फोन।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5—01 एक्सयूवी कार।

जनपद रामपुर/थाना मिलकखानम

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.09.2026 को थाना मिलकखानम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरकड़ी मोड़ के पास से अभियुक्त हरजिन्दर उर्फ काला सिंह को गिरफ्तार किया गया एवं एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मिलकखानम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हरजिन्दर उर्फ काला सिंह निवासी ग्राम बेरखेड़ी थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल।

जनपद सोनभद्र/थाना चोपन

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 340 ग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ब्रेजा कार बरामद**

दिनांक 21.09.2026 को थाना चोपन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्रीतनगर क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1—मुकुन्द 2—रोहित 3—आशीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 340 ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 ब्रेजा कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चोपन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुकुन्द निवासी ग्राम सिहार धार थाना लैलूंगा जनपद रायगढ़ छत्तीसगढ़।

2—रोहित निवासी ग्राम सिहार धार थाना लैलूंगा जनपद रायगढ़ छत्तीसगढ़।

3—आशीष निवासी ग्राम महुगढ़ थाना हलिया जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1—लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 340 ग्राम अवैध गांजा।

2—नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 01 ब्रेजा कार।

➢ **जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिबाई पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—शैलेन्द्र 2—पुष्पेन्द्र को धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस व आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 15 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त

3–रामेश्वर 4–विवेक 5–राजू उर्फ राजवीर को धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सूरजपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–इमरान को धारा 302/120बी भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–नफीस को धारा 302/120बी भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–113 (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सेक्टर–113 पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अब्दुल खालिद को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सागर उर्फ सुरेन्द्र को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34/120 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बब्लू उर्फ किशन 2–ईश्वर सैनी को 10–10 वर्ष के कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 22.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 488 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की वाराणसी तथा अलीगढ़ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 22.09.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की वाराणसी तथा अलीगढ़ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी इकाई द्वारा कमलकान्त विक्रम निवासी जैपार (उन्दी) थाना शिवपुर जनपद वाराणसी से खारिज-दाखिल कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में यूपी कॉलेज शिवपुर वाराणसी के अन्दर स्थित इंडियन बैंक के सामने से **अशोक कुमार (प्राइवेट मुंशी)** पुत्र मोहन लाल निवासी डी.एल.डब्ल्यू रोड शिवदासपुर थाना मडुवाडीह जनपद वाराणसी को **01 लाख रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन अलीगढ़ इकाई द्वारा ज्ञान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट धरौली थाना जैंथरा जनपद एटा से जमीन के सम्बन्ध में दायर वाद की कार्यवाही पूर्ण होने पर फाइल में आर्डर करवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक प्रमोद कुमार के नेतृत्व में तहसील परिसर अलीगंज में उपजिलाधिकारी आवास के पीछे से **कनिष्ठ सहायक अनूप (कोर्ट पेशकार उपजिलाधिकारी कार्यालय अलीगंज जनपद एटा)** पुत्र स्व0 योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शेरपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी को **30 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

————————